संख्या-बी/23 07/सत्तर-3-2014-बी0एड0(16)/2011

प्रेषक,

मधु जोशी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेष शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
इलाहाबाद।

2. कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

82
02.02.2015

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 29 जनवरी, 2015

विषयः-निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम (शिक्षण सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 तक) के लिए पाठ्यक्रम शुल्क का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0सी0ई0टी0 नियमावली, 2002 के प्रस्तर '6'(3) के प्राविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत निर्मित उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 अधिसूचना संख्या-1561/सोलह-81-2008-5 (डब्ल्यू-48)/2003 दिनांक 01.05. 2008 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली में स्थापित प्राविधानों के अनुसार व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या-2463/2008-सोलह-ए-5(डब्ल्यू-48)/2003 दिनांक 27 जून, 2008 द्वारा निजी क्षेत्र के बी0एड0 पाठ्यक्रम शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 23.01.2015 को प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में हुई है।

2- समिति की उक्त बैठक में शासनादेश संख्या-बी0एड0 378/ सत्तर-3-2012-बी0एड0(16)/2011, दिनांक 29 सितम्बर, 2012 द्वारा प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थाओं में बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क रू0 51,250/-पर शुल्क को पुनर्निधारित किये जाने पर सम्यक विचार किया गया। इसी कम में एन0सी0टी0ई0 नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या- 51-4/2014/NCTE/N&S दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम की अवधि 01 वर्ष से 02 वर्ष किये जाने के फलस्वरूप बी0एड0 सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 हेतु शुल्क पुनर्निर्धारण किये जाने पर विचार करते हुए तथा प्रदेश में बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी द्वारा वर्ष 2014-15 की बी0एड0 प्रवेश परीक्षा आयोजित कराये जाने के फलस्वरूप इस सत्र हेतु उपलब्ध बी0एड0 पाठ्यक्रम की कुल सीटों के सापेक्ष काउन्सलिंग के उपरान्त भरी गयी सीटें एवं रिक्त रह गयी सीटों की स्थिति पर विचार करते हुए इस तथ्य को छात्र-छात्राओं में बी0एड0 के

Principal
Gandhi Institution of Perfect

प्रति अभिरूचि / मांग को कम होने का द्योतक पाते हुए सर्वसम्मति से समिति द्वारा प्रदेश स्थित निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थाओं में बी0एड0 पाठ्यकम के वर्तमान सत्र 2014-15 हेतु पाठ्यकम शुल्क न बढ़ाये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है तथा वर्ष 2015-16 के प्रथम वर्ष हेतु रू0 51250/- तथा द्वितीय वर्ष हेतु रू0-30,000/- पाठ्यकम शुल्क निर्धारित किया गया है। यह दरें शैक्षणिक सत्र 2015-16 से आगामी तीन वर्ष हेतु लागू रहेंगी।

कृपया उक्तानुरूप अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मधु जोशी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-...3.09(1)/सत्तर-3-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।
3- समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग।
4- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5- अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद्, इन्दिरा भवन, लखनऊ को बेवसाइट पर प्रदर्शन हेतु एवं सभी संबंधितों को ई-मेल के द्वारा प्रेषित करने हेतु।
6- बेवमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- विभागीय आदेश पुस्तिका

आज्ञा से,

(मधु जोशी)
संयुक्त सचिव।

Principal
Gandhi Institution of Perfect Teaching Studies, Meerut.

G-0-(B.ED)

(2)

संख्या–363/सत्तर–7–2019–बी0एड0(16)/2011

प्रेषक,

कृष्ण चन्द्र राय शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज

2– कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग–7 लखनऊ: दिनॉक: 23 अगस्त, 2019

विषयः– निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम शिक्षण सत्र 2019–20 के लिए पाठ्यक्रम शुल्क का पुर्ननिर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0सी0टी0ई0 नियमावली, 2002 के प्रस्तर–'6'(3) के प्राविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत निर्मित उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 अधिसूचना संख्या–1561/सोलह–1–2008–5(डब्लयू–48)/2003 दिनांक 01.05.2008 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली में स्थापित प्राविधानों के अनुसार व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 के कार्यालय आदेश संख्या–2463/2008–सोलह–ए–5 (डब्लयू–48)/2003 दिनांक 27 जून, 2008 द्वारा निजी क्षेत्र के बी0एड0 पाठयकम हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 20–08–2019 को सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में हुई।

2– समिति की उक्त बैठक में शासनादेश संख्या–बी0एड0–09/सत्तर–3–2014–बी0एड0(16)/2011 दिनांक 29 जनवरी, 2015 द्वारा प्रदेश के निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क प्रथम वर्ष हेतु रू0 51,250/–तथा द्वितीय वर्ष के लिए रू0 30,000/–पाठ्यक्रम शुल्क को पुर्ननिर्धारित किये जाने पर सम्यक विचार किया गया। प्रदेश में बी0एड0 पाठ्यकम हेतु इस वर्ष बी0एड0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा आयोजित कराये जाने के फलस्वरूप वर्तमान सत्र हेतु उपलब्ध बी0एड0 पाठ्यकम में कुल सीटों के सापेक्ष काउन्सलिंग के उपरान्त भरी गयी सीटें एवं रिक्त रह गयी सीटों की स्थिति पर विचार किया गया। इस तथ्य को छात्र–छात्राओं में बी0एड0 के प्रति अभिरूचि/मांग को कम होने का द्योतक पाते हुए सर्वसम्मति से समिति द्वारा प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थाओं में बी0एड0 पाठ्यकम के वर्तमान सत्र 2019–20 हेतु शुल्क न बढ़ाये जाने पर सहमतिं व्यक्त की गयी है तथा पूर्व की भांति बी0एड0 प्रथम वर्ष हेतु रू0 51,250/–तथा द्वितीय वर्ष हेतु रू0 30,000/–निर्धारित किया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
संयुक्त सचिव।

(7)

संख्या–363(1)/सत्तर–7–2019 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
2– प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4– कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– अपर अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु एवं सभी सम्बन्धितों को ई–मेल के द्वारा प्रेषित करने हेतु।
7– समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
8– विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
संयुक्त सचिव।